न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 6-पांच/96 एवं 5-पांच/96 विरूद्ध आदेश दिनांक 23-1-96 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, चंबल प्रकरण क्रमांक 160/94-95/निगरानी एवं 161/94-95 निगरानी.

निगरानी 6-पांच/96

निरंजनराव पुत्र लक्ष्मणराव ब्राहम्ण
निवासी श्योपुरकलां, जिला मुरैना म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0 शासन
2- मु. रम्मो पुत्री भैरू जाति कीर
निवासी सामरसा तहसील श्योपुरकलां
जिला मुरैना म0प्र0 ---- अनावेदकगण

निगरानी 5-पांच/96

निरंजनराव पुत्र लक्ष्मणराव ब्राहम्ण
निवासी श्योपुरकलां, जिला मुरैना म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0 शासन
2- कैलास पुत्र धन्ना जाति किर
निवासी ग्राम सामरसा तहसील श्योपुरकलां
जिला मुरैना म0प्र0 ---- अनावेदकगण

श्री एस0 के0 अवस्थी, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री बी0एन0त्यागी, अधिवक्ता, अनावेदक कं.1 (दोनों प्रकरणों में)
अनावेदक कं.-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित (दोनों प्रकरणों में)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 19 – 1 – 2016 को पारित)

ये निगरानियां अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 160/94–95/निगरानी एवं 161/94–95 में पारित आदेश दिनांक 23–1–96 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण क्रमांक निगरानी 6–पांच/96 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा विचारण न्याालय तहसीलदार श्योपुरकलां के समक्ष संहिता की धारा 190/110 के अंतर्गत आवेदन पुत्र प्रस्तुत कर ग्राम सामरसा की भूमि सर्वे नं. 137/5 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा पर नामांतरण की मांग की गई । तहसीलदार ने उक्त आवेदन पत्र से दिनांक 8–6–91 को प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन कराया गया तथा अनावेदक क्रमांक 2 को तलब किए जाने के आदेश दिए । प्रकरण में इश्तहार पर कोई आपत्ति न आने तथा अनावेदक रमको एवं उसकी मां मृतक तुलसा द्वारा प्रस्तुत जबाव जिसमें आवेदक का नामांतरण करने पर किसी प्रकार की आपत्ति न किए जाने एवं उभयपक्ष की साक्ष्य ग्रहण करने के उपरांत आदेश दिनांक 17–1–92 द्वारा आवेदक का आवेदन स्वीकार किया गया । इस आदेश के 3 वर्ष उपरांत अपर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार के उक्त आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक एवं अनावेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया जाकर जबाव प्राप्त यिा गया और तदुपरांत आदेश दिनांक 5–6–95 द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश

के विरूद्ध निगरानी कमांक 6-पांच/96 इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण कमांक निगरानी 5-पांच/96 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा विचारण न्याालय तहसीलदार श्योपुरकलां के समक्ष संहिता की धारा 169/190/110 के अंतर्गत दिनांक 18-6-91 को आवेदन पुत्र प्रस्तुत कर ग्राम सामरसा की ही प्रश्नाधीन भूमियों पर नामांतरण की मांग की गई । तहसीलदार ने उक्त आवेदन पत्र से प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन कराया गया तथा अनावेदक कमांक 2 कैलाश पुत्र धन्ना कीर को तलब किए जाने के आदेश दिए । प्रकरण में इश्तहार पर कोई आपत्ति न आने तथा एवं उभयपक्ष की साक्ष्य ग्रहण करने के उपरांत आदेश दिनांक 17-1-92 द्वारा आवेदक का आवेदन स्वीकार किया गया । इस आदेश के 3 वर्ष उपरांत अपर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार के उक्त आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक एवं अनावेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया जाकर जबाव प्राप्त यिा गया और तदुपरांत आदेश दिनांक 5-6-95 द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

4/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अपर आयुक्त एवं अपर कलेक्टर के आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । विचारण न्यायालय में प्रकरण संहिता की धारा 168, 190 एवं 110 के तहत गतिशील था । तहसीलदार ने प्रकरण में विधिवत कार्यवाही उपरांत तथा अनावेदक कमांक 2 की साक्ष्य लेने के उपरांत आदेश पारित किया था जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अपर कलेक्टर ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि अपर कलेक्टर का यह निष्कर्ष कि समस्त कार्यवाही कार्यालय में बैठकर एक ही दिन में आवेदक को अनुचित लाभ देने की दृष्टि से की गई है । अभिलेख के विपरीत है । क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर प्रकरण 18–6–91 को दर्ज किया गया है और उसके उपरांत 5 पेशियां नियत की गई हैं और उसके उपरांत दिनांक 17–1–92 को आदेश पारित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने स्टाम्प डयूटी की हानि होना मानने में भूल की गई है क्योंकि विचारण न्यायालय ने जो कार्यवाही की है वह संहिता के प्रावधानों के अनुसार की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि कारण बताओ नोटिस में जो आधार दिए गए हैं, उनसे अलग हटकर आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है । कारण बताओ नोटिस में कोई वैधानिक आधार अंकित नहीं है । अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत जबाव पर कोई विचार नहीं किया गया है ।

यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय का आदेश अपील योग्य था किंतु अपील नहीं की गई हो, तब स्वमेव निगरानी अधिकारों का उपयोग मूल मामले के किसी पक्षकार को फायदा देने के लिए नहीं किया जा सकता । इस संबंध में उनके द्वारा 1988 आर0एन0 265 एवं 1989 आर0एन0 200, 2002 आर0एन0 156, 1979 आर0एन0 561 पूर्ण न्यायपीठ का हवाला दिया गया और कहा गया कि कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया है जो क्षेत्राधिकार रहित है ।

यह भी कहा गया कि प्रकरण 2 प्राइवेट पक्षकारों से संबंधित है इसके उपरांत भी तहसील न्यायालय द्वारा 27.1.92 को पारित नामांतरण आदेश को अपर कलेक्टर द्वारा 3 वर्ष से अधिक की अवधि के उपरांत स्वमेव पुनरीक्षण में लेकर निरस्त किया जाना न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि स्वमेव

निगरानी अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के अंदर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा 2000 आर0एन0 161, 1999 ए0आय0एच0सी0 4031, 1989 आर0एन0 200, 1988 आर0एन0 265 एवं 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स नोट-26 एवं न्यायदृष्टांत I.L.R. (2011) M.P.1 2010 (4) एम0पी0एल0जे0 178 के न्याय उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं ।

5/ अनावेदक क्रमांक - 1 शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विस्तृत विवेचना के उपरांत पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है । अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में यह पाया है कि आवेदक द्वारा आपस में दुरभिसंधि करके संहिता की धारा 109/110 के तहत आवेदक का नांमातरण कराया गया है । उनके द्वारा अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेशों को उचित बताते हुए स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से दोनों प्रकरणों में सूचना उपरांत कोई उपस्थित न होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

7/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि पर तहसील न्यायालय के द्वारा संहिता की धारा 190/110 के प्रावधानों के तहत नामांतरण आदेश दिनांक 28.9.92 को पारित किया गया है । उक्त आदेश अनावेदक कमांक 1 को विधिवत सूचना दिए जाने के उपरांत तथा उसकी स्वीकृति के कथन अंकित किए जाने के आधार पर पारित किया गया है । तहसील न्यायालय का आदेश अपील योग्य आदेश था जिसके विरूद्ध अपील भी अनावेदक क्र0 2 द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांत 1988

आर0एन0 265 एवं 1989 आर0एन0 200, 2002 आर0एन0 156, 1979 आर0एन0 561 (पूर्ण न्यायपीठ) अवलोकनीय हैं जिनमें अपील योग्य आदेश को स्वमेव पुनरीक्षण के योग्य नहीं माना गया है । इस कारण कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में यह प्रकरण लिया जाना विधिसम्मत नहीं है ।

8/ अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने आदेश में संहिता की धारा 168 एवं 169 के प्रावधानों पर कोई विवेचना नहीं की है मात्र यह कहा गया कि संहिता की धारा 168/169 लागू नहीं होती है किंतु लागू क्यों नहीं होती है इसका कोई कारण नहीं दिया है । इस कारण भी अपर कलेक्टर द्वारा नामांतरण आदेश को स्वमेव निगरानी में लेना त्रुटिपूर्ण है । न्यायदृष्टांत 2001 आर0एन0 15 में राजस्व मंडल के विद्वान अध्यक्ष द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

" भू–राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 धारा 168, 169 तथा 190 (2–क) (ख) – भूमिस्वामी द्वारा अपनी भूमि धारा 168 तथा 169 के उपबंधों के विरूद्ध पट्टे पर दी गई – पट्टाधारी को उस पर मौरूसी कृषक तथा भूमिस्वामी के अधिकार अर्जित हो गए । "

" भू–राजस्व संहिता, 1959म0प्र0 – धारा 50 तथा 110 नामांतरण आदेश किसी प्रायवेट पक्षकार द्वारा आक्षिप्त नहीं – ऐसा आदेश अपास्त करने के लिए स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति प्रयुक्त नहीं की जा सकती । "

8/ अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि तहसील न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही कार्यालय में बैठकर एक ही दिन में आवेदक को अनुचित लाभ देने की दृष्टि से राजस्व अमले की सांठ गांठ से की गई है भी अभिलेख पर आधारित नहीं है क्योंकि तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण दिनांक 18-6-91 को पंजीबद्ध हुआ है और उसके बाद प्रकरण में 5 पेशियां नियत

की गई हैं और उसके उपरांत दिनांक 17-1-92 को आदेश पारित किया गया है । अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का आधार यह भी लिया गया है कि म0प्र0 राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 12-1-93 द्वारा मौखिक अथवा अनौपचारिक पट्टे के आधार पर कब्जेदार अंकित न किए जाने के आदेश दिए हैं तथा राजस्व विभाग के ही परिपत्र दिनांक 29.4.94 द्वारा स्टाम्प शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया है । किंतु उक्त परिपत्र इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि इस प्रकरण में तहसील न्यायालय का जो आदेश है वह 17-2-91 का है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है इस कारण इस प्रकरण में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के जो आदेश हैं वे अभिलेख के विपरीत एवं अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं ।

10/ अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण प्राइवेट पक्षों के मध्य निजी भूमि से संबंधित है तथा प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आवेदक एवं अनावेदक ने आपस में दुरभिसंधि कर आवेदक का नामांतरण कराया गया है । उपरोक्त स्थिति में आवेदक का यह तर्क मानने योग्य है कि तहसील न्यायालय के विधिसम्यक आदेश को, कलेक्टर द्वारा 6 वर्ष से अधिक लंबी अवधि के पश्चात स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करना विधिसंगत नहीं है । न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 की पूर्णपीठ द्वारा I.L.R. (2011) M.P.1 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि '' भू-राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा - 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50

के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है । दर्शित परिस्थिति में एवं उपरोक्त उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में अपर आयुक्त एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों को औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं माना जा सकता ।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा आलोच्य दोनों प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 23–1–96 एवं अपर कलेक्टर, श्योपुर द्वारा दोनों प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 5–6–95 अवैधानिक होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसील न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 17–1–92 स्थिर रखे जाते हैं । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये और तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर